प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

30 मार्च, 2026

सीपीएसई पर अनुपालन लेखा परीक्षा (वाणिज्यिक) रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 39 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

2. प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 12 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित नौ व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और सात अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹14,772.92 करोड़ है।

3. प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में 2017-18 से 2021-22 के दौरान खनन गतिविधियों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा से पता चला कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला उत्पादन एवं अधिभार हटाने के लक्ष्यों को सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं बनाया। इसने लक्ष्यों के निर्धारण के लिए विचारणीय कारकों को परिभाषित करने वाला कोई मैनुअल/मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया गया। ई-निविदाओं में बोलीदाताओं के आईपी एड्रेस का मिलान, एमसीएल के आईपी एड्रेस का बोलीदाताओं के आईपी पतों से मिलान, एवं निविदा प्रणाली में सत्यापन नियंत्रणों का अभाव जैसे मामले सामने आए। ईंधन आपूर्ति समझौते के प्रावधानों का पालन न करने के उदाहरण भी पाये गए।

(पैरा 1.2)

एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल), तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं टीएएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम है। लेखापरीक्षा ने 2015 से 2021 की अवधि हेतु परियोजना के कार्यान्वयन एवं कंपनी के प्रदर्शन का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीआर की अनुपस्थिति एवं अपर्याप्त भूमि (267 एकड़) के कारण अव्यवस्थित योजना, निर्माण गतिविधियों में समन्वय की कमी एवं परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ। इकाई I एवं इकाई II के चालू होने में क्रमशः 38 महीने एवं 35 महीने का विलंब हुआ, जिसका मुख्य कारण एनटीपीएल एवं उसके परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा निगरानी

की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप निर्माण अवधि के दौरान ब्याज में ₹435.63 करोड़ की वृद्धि सहित कुल लागत ₹2,383.94 करोड़ बढ़ गई।

(पैरा 1.3)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अपनी कोच्चि रिफ़ाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल परियोजना की योजना बनाई थी, जिसे सितंबर 2018 में ₹11,294 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृति मिली थी। अंतिम परियोजना डिज़ाइन प्रस्तुत करने में विलंब के कारण लागत बढ़कर ₹13,145 करोड़ हो गई, जिससे परियोजना वित्तीय रूप से अव्यावहारिक हो गई। परिणामस्वरूप, बीपीसीएल ने परियोजना को बंद करने एवं इसके स्थान पर एक अलग लघु परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया। तब तक, प्रारंभिक कार्यों पर ₹455.29 करोड़ खर्च हो चुके थे, जिनमें से केवल ₹155.14 करोड़ ही नई परियोजना के लिए पुनः उपयोग किए जाने की आशा है, जिसके परिणामस्वरूप ₹300.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 2.1)

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान दामोदर घाटी निगम में पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदूषकों के उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए दी गई समय-सीमा का पालन नहीं कर सका एवं तीन ताप विद्युत संयंत्रों में राख तालाबों(ऐश पोंड) का अपर्याप्त प्रबंधन था। निगम के ताप विद्युत संयंत्रों में अनुपचारित अपशिष्ट एवं एसटीपी/ईटीपी की अनुपस्थिति/ स्थापना में विलंब ने पर्यावरणीय समस्याओं को और बढ़ा दिया। सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही जिसके परिणामस्वरूप, निगम वर्ष 2016-25 के दौरान किसी भी वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका एवं उसे ₹1,305.48 करोड़ मूल्य के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदने पड़े।

(पैरा 3.1)

लेखापरीक्षा ने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) कामेंग जलविद्युत प्रोजेक्ट (परियोजना) की योजना एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने कार्यस्थल मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, परियोजना नियोजन एवं परियोजना निष्पादन में कमियां पायी। परियोजना को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (1982) तैयार होने के चालीस वर्ष बाद चालू किया जा सका, जिससे परियोजना लागत भी ₹2,496.90 करोड़ से बढ़कर ₹8,404.47 करोड़ हो गई।

(पैरा 3.2)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड की समक्ष कच्चा माल सहायता (आरएमए) योजना की समीक्षा से पता चला कि इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई की व्याप्ति (कवरेज) बहुत कम थी। यह भी देखा गया कि एनएसआईसी हेतु कम ब्याज दर (ब्याज) का लाभ

एमएसएमई को प्रभावी ढंग से नहीं प्रदान किया गया। योजना की वर्तमान संरचना एमएसएमई की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करती थी एवं एनएसआईसी को एमएसएमई की आवश्यकताओं के मद्देनजर योजना की समीक्षा एवं पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 5.1)

सेल के चंद्रपुर फैरो अलॉय संयंत्र (सीएफपी) की समीक्षा से पता चला कि सिलिको मैंगनीज़ का उत्पादन वार्षिक व्यावसायिक योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से कम था । सीएफ़पी को 2017-24 के दौरान इस्पात संयंत्रों से आवश्यक मात्रा का केवल 56 *प्रतिशत* से 97 *प्रतिशत* कोक प्राप्त हुआ। कोक की कमी के कारण 0.39 लाख टन सिलिको मैंगनीज का कम उत्पादन हुआ एवं ₹13.54 करोड़ का संभावित योगदान कम हुआ। वर्ष 2017-24 के दौरान सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस की व्यवहार्यता प्रतिवेदन में परिकल्पित मानक से ₹230.24 करोड़ मूल्य के 1.03 लाख टन कोक की अधिक खपत हुई। गैस क्लीनिंग संयंत्र के गाद के जमा होने एवं सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-□ एवं □□ में गैस अपसारक/फ्लेयरिंग प्रणाली न लगाने से पर्यावरणीय खतरे पैदा हुए।

(पैरा 6.1)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा गुजरात एवं महाराष्ट्र में टोल संचालन की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचएआई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों एवं एनएचएआई के नीति परिपत्रों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.60 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। एनएच शुल्क नियम, 2008 के प्रासंगिक प्रावधानों में टोल को 40 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता थी, जबकि एनएचएआई ने रियायत अवधि समाप्त होने के बाद टोल संग्रह का कार्यभार संभाला, जिसका अनुपालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क उपयोगकर्ताओं पर ₹180.44 करोड़ का अनुचित वित्तीय बोझ पड़ा। एक रियायतग्राही को निपटान भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.68 करोड़ के टोल राजस्व का नुकसान हुआ। एनएचएआई को विभिन्न सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) का मानकीकरण करने की आवश्यकता है ताकि आंकड़ा-स्थानांतरण आदि की चुनौतियों से बचा जा सके।

(पैरा 7.1)

सड़क उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ एवं टोल संचालकों को अनुचित लाभ

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के अनुसार स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए सड़क उपयोगकर्ता पर शुल्क लगाता है। नियम 5 एनएचएआई को थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्येक

वर्ष पहली अप्रैल से प्रभावी दर को संशोधित करने की अनुमति देता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार (ओईए) का कार्यालय थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है। एनएचएआई मार्च 2017 तक उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन एवं मूल्य परिवर्तन सूत्र के लिए 2004-05 श्रृंखला के डब्ल्यूपीआई-सभी वस्तुओं का उपयोग कर रहा था। हालांकि एनएचएआई (पीआईयू/ हजारीबाग) ने सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल संचालकों द्वारा वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के लिए ओईए द्वारा प्रकाशित 1.561 लिंकिंग कारक के बजाय 1.641 के उच्च लिंकिंग फैक्टर का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप 2021-25 के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा एवं टोल ऑपरेटरों को ₹19.66 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे ओईए की वेबसाइट पर प्रकाशित 1.561 के लिंकिंग फैक्टर पर विचार कर रहे हैं, जिसे एनएचएआई में उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन के साथ-साथ एनएचएआई के सभी अनुबंधों के लिए भी अपनाया जाएगा।

(पैरा 7.2)